संख्या–3/4/86/का–2/2011

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गर्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक : 29 अप्रैल, 2011

वेषय :– उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002 से आच्छादित पदों पर चयन हेतु दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रसित अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में अतिरिक्त समय दिए जाने तथा वाचक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 1998 से आच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में शासनादेश संख्या–3/4/86–का–2/1998, दिनांक 02 सितम्बर, 1998 के माध्यम से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा प्रदान की गयी थी । इसी प्रकार समसंख्यक शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 1998 के माध्यम से लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) प्रभावी है । इस नियमावली से आच्छादित ऐसे पदों, जिनमें टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित् है, के परिप्रेक्ष्य में टंकण परीक्षा हेतु दृष्टिबाधितों को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किए जाने तथा वाचक उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

2– उक्त कठिनाइयों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् तिचारोपरांत शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :–

1) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित समय का 20% अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।
2) दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को एक वाचक की सुविधा प्रदान की जाए।

3) संबंधित दृष्टिबाधित अभ्यर्थी, वाचक अपने साथ स्वयं लायेंगे।

4) दृष्टिबाधित अभ्यर्थी या उसके साथ आये वाचक को, नियुक्ति प्राधिकारी या शासन द्वारा कोई यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

5) संबंधित अभ्यर्थी के वाचक को अपना ब्यौरा जैसे– नाम, पता, शैक्षिक योग्यता आदि लिख कर देना होगा। संबंधित वाचक द्वारा दिया गया ब्यौरा उसे तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले सही तथा सत्य प्रमाणित करना होगा। यह विवरण परीक्षा कक्ष निरीक्षक को दिया जाएगा।

6) उपरांकित किसी भी शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर संबंधित अभ्यर्थी/ वाचक के विरूद्ध किसी भी अन्य कार्यवाही के साथ अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त किया जा सकता है।

3– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए और दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रसित अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र के साथ उक्त से अवगत भी कराया जाए।

भवदीय,

19.4.2011

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3/4/86/का–2/2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/ लखनऊ।
6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 नियुक्ति–20–5–2011–(287)–2000+2 प्रतियां (ऑफसेट)।